

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान  
अंसारी नगर, नई दिल्ली-110029  
वित्त प्रभाग

फा.सं. 1-1/विविध (वित्त प्रभाग) /25-26

दिनांक: 20.03.2025

महत्वपूर्ण परिपत्र

**विषय:** वित्त वर्ष 2025-26 में सामान्य भविष्य निधि में अभिदान पर 5 लाख रुपये की उच्चतम सीमा-सा.भ.नि. के अभिदान संबंधी सूचना।

डी.ओ.पी.टी. द्वारा उनके दिनांक 02.11.2022 के कार्यालय ज्ञापन सं. 3/13/2022-पी एवं पीडब्ल्यू (एफ) (8353) द्वारा जारी दिशा-निर्देश के अनुसार, एक वित्त वर्ष के दौरान सा.भ.नि. अभिदान के लिए अधिकतम अनुमत्य सीमा 5 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से डी.ओ.पी.टी. द्वारा जारी दिशा-निर्देश निम्नलिखित हैं:-

"सा.भ.नि. (केंद्रीय सेवा), नियमावली 1960 के अनुसार, एक अभिदाता के संबंध में सा.भ.नि. में अभिदान की राशि, अभिदाता की परिलब्धियों के 6% से कम तथा कुल परिलब्धियों से अधिक नहीं होनी चाहिए। सा.भ.नि. (केंद्रीय सेवा) नियमावली, 1960 के नियम 7, 8 तथा 10 को दिनांक 15.06.2022 की अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 96 द्वारा संशोधित किया गया था। दिनांक 15.06.2022 की उक्त अधिसूचना के अनुसार, एक वित्त वर्ष के दौरान सा.भ.नि. के अंतर्गत एक अभिदाता द्वारा मासिक अभिदान की राशि, उस वित्त वर्ष में जमा किए गए बकाया अभिदान की राशि सहित अधिकतम सीमा (वर्तमान में पांच लाख रुपये) से अधिक नहीं होगी, जिसे आयकर नियमावली, 1962 के नियम 9घ के उप-नियम (2) में दिए गए स्पष्टीकरण के खंड (ग) के उप खंड (i) में संदर्भित किया गया है {जैसा कि वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग (केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) की दिनांक 31.08.2021 की अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 604 (ई) द्वारा जारी किया है}।"

इसके अतिरिक्त, केंद्रीय सिविल सेवा (सा.भ.नि.) नियमावली, 1960 के नियम 8(3) के अनुसार, प्रत्येक सा.भ.नि. अभिदाता को प्रति वर्ष अपने मासिक अभिदान की राशि के निर्धारण के बारे में सूचित करना होगा। अतः, अगले वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान सा.भ.नि. योगदान का विवरण प्रदान करने हेतु एक प्रोफार्मा संलग्न है।

सभी सा.भ.नि. अभिदाताओं से अनुरोध किया जाता है कि वे अपेक्षित जानकारी दिनांक 25.03.2025 तक या तो गूगल फॉर्म (हाइपर लिंक: <https://shoururl.at/dKkPB>) द्वारा या संबंधित लेखा अनुभाग में हस्ताक्षरित हार्ड कॉपी जमा करके प्रस्तुत करें।

इसे वरिष्ठ वित्त सलाहकार, एम्स के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

ह./-  
(विजय पाल सिंह)  
वित्त सलाहकार

**वितरण:**

- सभी केन्द्रों के प्रमुखगण/विभागाध्यक्षगण/एककों/अनुभागों के प्रभारीगण।
- निदेशक/संकायाध्यक्ष (अनुसंधान/शैक्षिक/परीक्षा)/अपर निदेशक (प्रशासन)/चिकित्सा अधीक्षक/वरिष्ठ वित्त सलाहकार/ मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/अधीक्षण अभियंता (एम्स) के प्रधान निजी सचिव।
- स्थापना (नि.का.)/केन्द्रों के सभी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी/प्रशासनिक अधिकारी/हिंदी अनुभाग
- फेम्स, ऑफिसर्स एसोसिएशन/कर्मचारी यूनियन/नर्सिंग यूनियन एवं एसवाईएस, एम्स, नई दिल्ली।
- कंप्यूटर सुविधा - इसे एम्स की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध सहित।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान  
अंसारी नगर, नई दिल्ली - 110029  
वित्त प्रभाग

प्रोफॉर्म

1.	कर्मचारी संख्या (नई वाली जो 'ई' ..... से आरंभ होती है)	
2.	नाम	
3.	पदनाम	
4.	वेतन देने वाला अनुभाग* (लेखापरिक्षा अनुभाग/ रोकड़ अनुभाग/ ह.तं. केंद्र/डॉ. रा.प्र. केंद्र/डॉ. भी.रा.अं.सं.रो.कें.अ. केंद्र/ एनडीडीटीसी/ एनसीआई, राजार/ ज.प्र.ना.ए.ट्रॉ.कें./सीडीईआर/अनुसंधान)*	
5.	जीपीएफ संख्या (जो 'जी' - से आरंभ होती है)	
6.	फोन नंबर/मोबाइल नंबर*	
7.	वित्त वर्ष 2025-26 हेतु मासिक जीपीएफ अभिदान की प्रस्तावित राशि (रु. में)	

हस्ताक्षर

ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES  
ANSARI NAGAR, NEW DELHI-110029  
FINANCE DIVISION

No.F.1-1/Misc(Fin.Div)/25-26

Date: 20.03.2025

IMPORTATNT CIRCULAR

Subject: Ceiling of Rs.5 lakh on subscription to General Provident Fund in Financial Year 2025-26 - intimation regarding subscription of GPF.

As per instruction issued by DOPT vide their O.M.No.3/13/2022-P&PW(F) (8353) dated 02.11.2022, the maximum permissible limit for the GPF subscription during a financial year should not be more than Rs.5 lakh. The guidelines issued by DOPT vide above OM are as under: -

"In accordance with the GPF (Central Services), Rules 1960, the amount of subscription to the GPF in respect of a subscriber, shall not be less than 6% of the emoluments and not more than total emoluments of the subscriber. Rules 7,8 &10 of the GPF (Central services) Rules, 1960 were amended vide Notification No. G.S.R. 96 dated 15.06.2022. As per the said Notification dated 15.06.2022, the sum of the monthly subscription by a subscriber under the GPF during a financial year together with the amount of arrears subscriptions deposited in that financial year shall not exceed the threshold limit (at present Rupees Five Lakh) referred to in sub Clause(i) of clause( c) the Explanation below sub rule (2) of the rule 9D of the Income Tax Rules,1962 {(as inserted vide notification No. G.S.R. 604 (E) dated 31.08.2021 ministry of Finance, Department of Revenue (Central Board of Direct Taxes)}"

Furthermore, as per Rule 8(3) of CCS(GPF) rules, 1960, every GPF subscriber has intimate the fixation of the amount of his monthly subscription in each year. Therefore, a proforma seeking details of GPF contribution during the next financial year 2025-26 is enclosed."

All GPF subscribers are requested to furnish the required information latest by 25.03.2025 either through Google from (hyper link: <https://shorturl.at/dKkPB> or by submitting signed hard copy to concerned Accounts Section.

This is issued with the approval of Sr. Financial Advisor, AIIMS.

(VIJAY PAL SINGH)

FINANCIAL ADVISOR  
वित्त सल्लाहकार  
FINANCIAL ADVISOR  
अ.भा.आ.सं. नई दिल्ली-29  
AIIMS, New Delhi-29

**DISTRIBUTION:**

1. All chief of centers/Head of Department/Units/Sections.
2. PPS to director/Dean(Research/Academic/Exam)/ADA/MS/SFA/CAO, AIIMS)
3. All Sr. Admn. Officer/Admin.officers of Estt.(DO)/Centers/Hindi Section
4. FAIMS, Officers Assoc./Karamchari Union/Nsg. Union & SYS, AIIMS, New Delhi
5. Computer Facility - with a request to upload this on official website of the AIIMS.
6. Hindi Officer- with a request to provide Hindi version of the same for Uploading on AIIMS website.

ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCINECES  
ANSARI NAGAR, NEW DELHI-110029  
FINANCE DIVISION

PROFORMA

1.	Employee NO. (New beginning with E )	
2.	Name	
3.	Designation	
4.	Salary dealing section* (Audit Section/Cash Section/C.N.Centre/Dr. R.P.Centre/ Dr. BRAIRCH Centre/NDDTC/NCI, Jhajjar/ JPNATC/ CDER/ Research)*	
5.	GPF Number (beginning with G- )	
6.	Phone No./Mobile No.*	
7.	Proposed amount of monthly GPF Subscription for Financial Year 2025-26 (in Rs)	

SIGNATURE